न्यायलय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ(चूरू)

पीठासीन अधिकारी – ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या – 121/2022 आदेश दिनांक– 25.02.2025

1. राजेन्द प्रसाद उर्फ राज कुमार पुत्र गोविन्दराम जाति जांगिड़ निवासी वार्ड संख्या 02 कस्बा छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू
2. जगदीश प्रसाद पुत्र सुरजाराम उर्फ सुरजमल जाति जांगिड़ निवासी वार्ड संख्या 02 कस्बा छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू

..... वादीगण

बनाम

1. लिछमा देवी उर्फ लक्ष्मी सुथार पत्नी स्व0 फूसाराम जाति जांगिड़ निवासिनी कस्बा छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू हाल निवासिनी रा0 पब्लिक सीनियर पाठशाला पडिहारा वार्ड नं0 01 तहसील रतनगढ़ जिला चूरू राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ

..... प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक एवं राजस्व रेकार्ड में संशोधन बाबत

उपस्थित :–

1. वादी सं0 01 राजेन्द्र प्रसाद उर्फ राज कुमार पुत्र गोविन्दराम जाति जांगिड़ निवासी वार्ड संख्या 02 कस्बा छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू

–:निर्णय:–

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकरण है कि वादीगण की ओर से वाद इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम छापर तहसील सुजानगढ की सीमा में एक खेत खसरा संख्या 131 तादादी 19 बीघा में से 1/2 भूमि यानि 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि विक्रय पत्र दिनांक 21/01/1986 के आधार पर वादीगण के कब्जा अधिकार उपयोग उपभोग में चली आ रही है। वादगत खेत खेवट (खतौनी) संख्या नई 178 पुरानी 183 मोहन, फूसा पिसरान दूला जाति जांगिड ब्राम्हण व०हि०व० निवासीगण छापर के नाम से दर्ज थी। जिसमें फूसा व मोहन

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

ब्राह्मण दुला का बराबर का हिस्सा था तथा फूसा के हिस्से ख0न0 131 में से हक हकूक खातेदारी के विक्रय, बन्धक व अन्य प्रकार के हस्तांतरणादी के भार से सुरक्षित एवं मुक्त थे। प्रतिवादी संख्या 01 के पति फूसा राम ने खेत खसरा नं0 131 तादादी 19 बीघा में से अपने कुल हिस्से पांति के यानि 1/2 भुमि 9 बीघा 10 बिस्वा भुमि के हक हकूक खातेदारी व मय कुल अधिकार दाखली खारजी व खुदकाश्त दिनांक 21/01/1986 ई0 को रूपये 10000/– रूपये अखरे दस हजार रूपये में विकय पत्र द्वारा वादीगण श्री राजेन्द्र प्रसाद उर्फ राज कुमार पुत्र श्री गोविन्दराम व श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री सुरजाराम उर्फ सुरजमल जाति जांगिड निवासीगण कस्बा छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू के पक्ष में वहिस्सा बराबर–बरावर विक्रय कर दिये थे व विक्रय मुल्य वादीगण की ओर से मार्फत उनके पिता श्री गोविन्दराम व सुरजाराम उर्फ सुरजमल जांगिड से प्राप्त कर कब्जा व दखल विकीत 9 बीघा 10 बिस्वा भुमि सम्पूर्ण हिस्से पांति पर वास्तविक रूप से वादीगण को उनके पिता की मार्फत करवा दिया था। दिनांक 21/01/1986 से उक्त खेत खसरा नं0 131 काश्त उपयोग उपभोग वादीगण का चला आ रहा है। विक्रय पत्र दिनांक 21/01/1986 के आधार पर हल्का पटवारी ने नामांतरकरण दर्ज नही किया एवं विक्रेता श्री फूसाराम की दिनांक 27/07/1991 को लाऔलाद मृत्यु हो जाने पर उसकी एकमात्र वारिस लिछमादेवी पत्नी फूसाराम के नाम से नामांतरकरण दर्ज हो गया । वादीगण ने दिनांक 11/12/2019 को प्रतिवादी संख्या दो को एक लिखित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर वादी गण के नाम विक्रय पत्र दिनांक 21/01/1986 के आधार पर वादीगण के नाम नामांतरकरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया, जिस पर प्रति वादी संख्या दो ने जांच हेतु हल्का पटवारी छापर को आदेश दिया। एवं रिपोर्ट पटवारी पर सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने का पृष्ठांकन किया। वादीगणों ने निवेदन किया कि प्रतिवादी सं 1 के पति स्व० श्री फूसाराम के द्वारा वादीगण के पक्ष में दिनांक 21/01/1986 ई० को विक्रय पत्र निष्पादित करने के कारण वादीगण को खसरा संख्या 131 में से तादादी 9 बीघा 10 बिस्वा भुमि का खातेदार घोषित किया जाने व राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जाकर वादीगण के नाम नामांतरकरण दर्ज किया जाने के अधिकारी है।

इस पर दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से दिनांक 21.09.2023 को विद्वान अधिवक्ता श्री सुल्तानसिंह ने वकालतनामा एवं इकवाल जवाब दावा पेश किया। तथा दिनांक 25.10.2023 को प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से पेरोकार राज ने राज्य हित निहित नहीं होना जाहिर किया।

वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में असल विकय पत्र दिनांकित 21.01.1986 पेश किया जिसके अनुसार कस्बा छापर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2041 से 2044 तक के रेकॉर्ड में खसरा नम्बर 127 एवं खसरा नम्बर 131 मोहन, फूसा पिसरान दुला जाति जांगिड़ ब्राह्मण बहि0बराबर निवासीगण छापर के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा फुसा पुत्र दुला जाति

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

जांगिड़ द्वारा खसरा नम्बर 131 रकबा 19 बीघा में से अपने हिस्से के खातेदारी भूमि वादीगण के पक्ष में विक्रय कर दिया है।

वादी की बहस सुनी गई। वादी सं0 01 ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादगत भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 के पति ने दिनांक 21.01.1986 को वादीगणों के पक्ष में विक्रय किया गया था। जिसका नामान्तरण वादीगणों के पक्ष में होने था जो कि प्रतिवादी संख्या 01 के पति की लाऔलाद मृत्यु हो जाने पर उसकी एकमात्र वारिस लिछमादेवी पत्नी फूसाराम के नाम से नामांतरकरण दर्ज हो गया था। वादीगण को विक्रय पत्र दिनांकित 21/02/1986 के आधार पर खेत खसरा संख्या 131 में से 09 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर जमाबंदी खेत खसरा नम्बर 131 में लिछमादेवी पत्नी फुसाराम के बजाए वादीगण के नाम अंकित किये जाकर संशोधन किया जावे।

बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर संलग्न विक्रय पत्र दिनांकित 21.01.1986 के अनुसार कस्बा छापर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2041 से 2044 तक के रेकॉर्ड में खसरा नम्बर 127 एवं खसरा नम्बर 131 मोहन, फूसा पिसरान दुला जाति जांगिड़ ब्राह्मण बहि0बराबर निवासीगण छापर के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा फुसा पुत्र दुला जाति जांगिड़ द्वारा खसरा नम्बर 131 रकबा 19 बीघा में से अपने हिस्से के खातेदारी भूमि वादीगण के पक्ष में विक्रय कर दिया है। रिपोर्ट पटवारी दिनांकित 05.02.2022 व जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के अनुसार वादगत भूमि प्रतिवादी संख्या 01 लिछमा पत्नी फुसाराम जाति जांगिड़ निवासी छापर एवं सन्तोषदेवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जांगिड़ निवासी छापर खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा छापर के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। चूंकि विक्रय पत्र दिनांकित 21.02.1986 के आधार पर वादीगण वादगत खेत खसरा नम्बर 131 में से 09 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार घोषित किये जाने तथा राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरण दर्ज करवाकर प्रतिवादी संख्या 01 के स्थान पर अपना नाम अंकित करवाने के अधिकारी है जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 01 ने इकबाल जवाबदावा मय शपथपत्र पेश कर वादीगण का वाद डिक्री फरमाने बाबत निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में वादी संख्या 01 व 02 वादगत भूमि में 09 बीघा 10 बिस्वा का बहिबराबर खातेदार घोषित किये जाते है।

—:<u>आदेश</u>:—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है, कि वादगत खेत खंसरा नं0 131 तादादी 4.8051 है0 वाके रोही ग्राम छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू के 1/2 हिस्से के वादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक बराबर हिस्से के

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

निवारण

जाते है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें। तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है, कि मुताबिक निर्णय के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ जिला-चूरू

डिकरी व मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**

वइजलास **श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

राजेन्द्रप्रसाद आदि बनाम लिछमा देवी आदि

दावा घोषणात्मक एवं राजस्व रेकार्ड में संशोधन बाबत

मुकदमा न0 121 सन 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ..... हाजरी राजेन्द्र प्रसाद उर्फ राज कुमार पुत्र गोविन्दराम जाति जांगिड़ वादी सं0 01, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है , कि वादगत खेत खंसरा नं0 131 तादादी 4.8051 है0 वाके रोही ग्राम छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू के 1/2 हिस्से के वादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक बराबर हिस्से के खातेदार है। वादगत भूमि में खातेदार लिछमा पत्नी फुसाराम हिस्सा 1/2 जाति जांगिड़ निवासी छापर के स्थान पर वादी संख्या 01 व 02 बराबर हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें। तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है, कि मुताबिक निर्णय के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

चीज..... मुबलिग ..... बाबत .....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ..... फीसदी सालाना

आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक .....

..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **25 माह 02 2025**

दस्तखत .....
उप खण्ड अधिकारी
ओहदा सुजानगढ़.....

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर			स्टाम्पबकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान					

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।